न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 25/2023

ए0यू0 स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19 ए, घुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर—302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी राकेश जैन

...प्रार्थी कंपनी/बैंक

बनाम

1. मैसर्स श्री बालाजी टिम्बर मर्चेन्ट एण्ड फायरवुड सप्लायर्स, (ऋणी)
   जरिये प्रोपराईटर श्री विश्राम सैनी,
   बांदीकुई रोड, सिकन्दरा, दौसा राज. 303326
2. श्री विश्राम सैनी पुत्र श्री रंगलाल सैनी (सह ऋणी)
   झरपीर की ढाणी, सिकन्दरा, दौसा, राज. 303326
3. श्री रंगलाल सैनी पुत्र श्री हरिराम सैनी, (जमानतदार/बंधककर्ता)
   झरपीर की ढाणी, सिकन्दरा, दौसा, राज. 303326

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 ।

उपस्थित : श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांकः 02.08.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. द्वारा ऋणी/सह ऋणी को रूपये 32,80,000/— (रूपये बत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी/सह ऋणी को बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

जिला कलेक्टर दौसा

.....निरंतर 2 पर

प्रार्थना पत्र सं0 25/2023

अधिवक्ता प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. को सुना गया। हमने प्रार्थी प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई अचल संपत्ति आवासीय संपरिवर्तित प्लॉट जो खसरा नंबर 3601/3472 (ओल्ड खसरा नंबर 3472/1095) गांव सिकन्दरा, तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है, जो श्री रंगलाल सैनी पुत्र श्री हरिराम सैनी के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 02 अगस्त, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा